न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 04/2016 FSSA

1. सरकार जरिये श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर
तत्कालीन कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा ।

– आवेदक–

बनाम

1. श्री कैलाश चन्द्र शर्मा पुत्र श्री जगन्नाथ शर्मा निवासी खोहरा पाडा, तहसील लालसोट दौसा।
मैसर्सः– शर्मा होटल, बस स्टैण्ड के पास, लालसोट निर्माता विक्रेता।

– अभियुक्त–

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्त स्वयं उपस्थित।

–: आदेश :–

दिनांकः– 12.02.2020

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्यरत थे। आवेदक को राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक एच/एफएसएसए/नोटिफिकेशन/2011/549 दिनांक 6.9.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया था। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश कमांक 497 दिनांक 18.08.2011 के द्वारा आवेदक को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र जिला दौसा आवंटित किये गये थे।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 21.05.2013 को दोपहर बाद 04:00 बजे मैसर्सः– शर्मा होटल, बस स्टैण्ड के पास, लालसोट स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री कैलाश चन्द्र शर्मा पुत्र श्री जगन्नाथ शर्मा उपस्थित मिला ने स्वयं को होटल पर विक्रेता होना बताया को अपना परिचय देकर एवं परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ रजिस्ट्रेशन दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य पदार्थ रजिस्ट्रेशन होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय लोहे के गोल ड्रम में लगभग 70 किलों आटे में मिलावट का अंदेशा होने पर नमूना वास्ते दो किलो आटा खरीदा जिसे विक्रेता ने हिलामिलाकर प्लास्टिक की थैली में तोलकर दिया। जिसकी कीमत 32 रूपये देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के लिये खरीदशुदा दो किलो आटे को चार साफ–सूखी एवं खाली कांच की बोतलों में बराबर–बराबर डालकर प्रत्येक बोतल को ढक्कन से बन्द कर चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व एफ.बी.ओं. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को बोतलों पर चिपकाकर बोतलों को अलग–अलग एक खाकी कागज में लपेट कर बोतलों पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं

अति० जिला कलेक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सीरियल नम्बर ए.जी.– 721 गोंद से चिपकाकर बोतलों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर बोतलों को चार–चार जगह से चपडी से सील मोहर कर बोतलों पर एफबीओ (विक्रेता) व गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील बन्द बोतलों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बंद बोतल एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बंद बोतल व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा स्वयं द्वारा दिनांक 22.05.2013 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक राज. जयपुर के यहां जमा करवाये। नमूने की दो सील बन्द बोतल व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 22.05.2013 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने का चतुर्थ सीलबंद बोतल व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 23.05.2013 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

उक्त खाद्य पदार्थ आटा के नमूने की खाद्य विश्लेषक, जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./1101/एक्ट/2013/691 दिनांक 26.06.2013 डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया है।

न्याय निर्णय आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियुक्तगण की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक, जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./1101/एक्ट/2013/691 दिनांक 26.06.2013 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ आटे के नमूने में ग्लूटेन की मात्रा 6.00 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए थी, जो कि कम (4.52) प्रतिशत पायी गई है। इसलिए उक्त खाद्य पदार्थ आटे का नमूना सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ आटे का विक्रय कर एफएसएसए 2006 की धारा 26 (2) (II) का उल्लंघन किया है। अतः अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने से दण्डित करने का श्रम करे।

अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बहस के दौरान जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी अभियुक्त शर्मा होटल के नाम से व्यवसाय करता है। जो सिर्फ दाल बाटी बनाता है और प्रार्थी को उक्त व्यवसाय करते हुए लगभग 40 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है तथा लालसोट में प्रार्थी अलमशहुर शर्मा होटल(पुराका भाई) पूर्ण सत्यनिष्ठा, ईमानदारी व शुद्धता को ध्यान में रखते हुए उक्त व्यवसाय संचालित करता है। जहां तक खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट दिनांक 26.06.2013 के अनुसार ग्लूटेन की मात्रा 4.52 प्रतिशत पाई गई है वह इसलिये पाई गई है कि प्रार्थी द्वारा अपने व्यवसाय में बाटी का निर्माण किया जाता है। जिसके लिये गेहुं का आटा मोटा व चोकर युक्त होना आवश्यक है एवं जहां पर आटे की मात्रा चोकर युक्त होगी वहां पर ग्लुटेन की मात्रा में निश्चित रूप से अन्तर आवेगा और जहां तक अवमानक का प्रश्न है तो परिवादी द्वारा कही पर भी यह दर्शित नहीं किया गया है कि ग्लूटेन की मात्रा मानव शरीर या मानव

अति० जिला कलेक्टर
टोंक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जीवन के लिये घातक या नुकसान प्रद हो। परिवादी एक बुजुर्ग 78 वर्षीय व्यक्ति है तथा उक्त घटना वर्ष 2013 की है एवं प्रार्थी के जीवन में यह प्रथम अपराध है। जो कि सर्वथा क्षमा किये जाने योग्य है। प्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बहस के दौरान उक्त परिवाद को खारिज फरमाने का निवेदन किया गया।

हमने खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियुक्त की बहस पर मनन किया एवं अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों का गौरपूर्वक अवलोकन करने के पश्चात् हम उक्त परिवाद को खारिज किया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 12.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(लोकेश कुमार मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक/ 385-387
दिनांकः- 25 .02.2020

प्रतिलिपिः- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री कैलाश चन्द्र शर्मा पुत्र श्री जगन्नाथ शर्मा निवासी खोहरा पाडा, तहसील लालसोट दौसा।
   मैसर्सः- शर्मा होटल, बस स्टैण्ड के पास, लालसोट निर्माता विक्रेता।

(लोकेश कुमार मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official